

प्रपत्र (ग)

(नियम 3 (3) देखिए)


[मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958]

स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र

भाग - क



Digitally signed by P. JASEEM ALI SITARA
Date: 2021.12.23 14:58:24 +05:30
Reason: Establishment Certificate
Location: Lucknow (Establishment - GSRP)



कार्यालय : District Labour Office, BHOPAL

(1) पंजीयन चिन्ह एवं क्रमांक : **C1558666**

(2) स्थापना का नाम PERSONNEL STAFFING SOLUTIONS PVT. LTD.

(3) स्थापना के (डाक का) पूरा पता : **C-160, SHAHPURA BHOPAL MP.**

(4) स्थापना के कारोबार, व्यापार या व्यवसाय का स्वरूप : **Any Others Commercial Establishment**

(5) मालिक, प्रबन्धक, अभिकर्ता (एजेंट) अथवा अन्य कोई व्यक्ति, जिसके अधीन या नियंत्रण में स्थापना का कार्य संचालन होता हो :

	नाम	पिता / पति का नाम	पता
मालिक	VIJU VARGHESE	LATE SHRI P.C.VARGHESE	C-160, SHAHPURA BHOPAL MP.
प्रबन्धक			
अभिकर्ता			

(6) स्थापना में सेवा नियोजक के रूप में हित रखने वाले अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) यदि कोई हो तो, उनका नाम, पद और राज्य में उसका पूरा पता :

स.क्र. नाम

पद

पता

(7) सेवायुक्तों की कुल संख्या :

पुरुष

महिला

योग

प्रांठ

4

1

5

युवा

4

1

5

पंजीयन शुल्क: Rs.40

योग

4

1

5

प्रमाणित किया जाता है कि स्थापना जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्र. सन 1958) के अंतर्गत आज दिनांक 23/12/2021 को पंजीयन की गई है।

निरीक्षक

दुकान एवं स्थापना

अधिनियम 1958 के अंतर्गत

महत्वपूर्ण सूचना यह प्रमाण पत्र स्थापना का पंजीयन मात्र है जो केवल आपकी द्वारा उपलब्ध किये गए दस्तावेजों एवं जानकारी के उपलब्धता के आधार पर जारी किया गया है। इस हेतु किसी भी तरह का अतिरिक्त सत्यापन/निरीक्षण नहीं किया गया है। यदि इन दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो विशेषज्ञ द्वारा पदों पंजीयन रद्द करने तथा आवेदक के विरुद्ध अनुचित दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है। पंजीयन प्रमाण पत्र के माध्यम से बैंक लोन, स्वामित्व एवं संपत्ति विवाद, दयादास्य में जमानत, GST पंजीयन प्राप्त करने या अन्य प्रयोजन के लिए स्थापना के लिए स्थापना के लिए अनुमति नहीं है। यह पंजीयन व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी से पुरेक से अनुमति प्राप्त करना होगी। दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध है।



वैधानिक सूचना: यह प्रमाण-पत्र बगैर निरीक्षण अथवा सत्यापन के केवल आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर जारी किया गया है। अतः असत्य जानकारी पाये जाने पर आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।